प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली महोबा की संयुक्त पुलिस टीम ने चोरी की विभिन्न घटनाओं का किया सफल अनावरण, चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार कब्जे से चोरी के आभूषण किये गये बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल नेतृत्व में वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राम प्रवेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा श्री बलराम सिंह द्वारा दिनांक 06.06.2022 को गठित की गयी संयुक्त पुलिस टीम जिसमें व0उ0नि0 गोपाल चन्द्र कनौजिया, उ.नि. उपेन्द्र प्रताप सिंह, उ.नि. अनुरूद्ध प्रताप सिंह, उ.नि.मलखान सिंह, हे.का. सुरेश कुमार व का. आकाश सिंह चौहान के देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारन्टी रोकथाम जुर्म जरायम अन्दर थाना इलाका क्षेत्र मे मामूर होकर थाना क्षेत्र में हो रही चोरियो के अनावरण के सम्बन्ध मे वार्ता कर रहे थे तभी मुखबिर खास ने उपस्थित आकर बताया कि साहब महोबा सिटी मे हो रही चोरियो की घटनाओ के सम्बन्ध मे पुराना बस स्टैण्ड छतरपुर रोड से करीब 20 मीटर पहले खडे होकर कुछ व्यक्ति चोरी के माल को खरीदने व बेचने के सम्बन्ध मे वार्ता कर रहे है यदि सतर्कता व

हिकमत अमली से प्रयास किया जाये तो माल सहित पकडे जा सकते है, इस सूचना पर व.उ.नि. गोपाल चन्द्र कनौजिया मय हमराह पुलिस बल के पुराना बस स्टैण्ड छतरपुर रोड से 1-भोंदा उर्फ उपदेश अहिरवार पुत्र हरप्रसाद उम्र 20 वर्ष निवासी प्राइवेट बस स्टैण्ड गांधीनगर थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा 2-सुमित सिंह पुत्र रामदास उम्र 19 वर्ष निवासी पस्तौर गली थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा 3-रोहित वर्मा पुत्र छोटेलाल उम्र 19 वर्ष निवासी शुक्रवारी बाजार थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा को पकड लिया तथा जामा तलाशी के दौरान अभियुक्तगण 1-भोंदा उर्फ उपदेश अहिरवार 2- सुमित सिंह पुत्र रामदास के कब्जे से मु.अ.सं.59/22 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित माल दो अदद मोटी सफेद धातु पायल एवं दो अदद तोडिया सफेद धातु एवं 84 अदद सफेद धातु व अभियुक्तगण 1-भोंदा उर्फ उपदेश अहिरवार 2-सुमित सिंह पुत्र रामदास के कब्जे से एद अदद नोकिया बटनदार रंग काला मोबाइल फोन कीपैड,एक अदद काला बैग श्रंगार ज्वैलर्स ,06 अदद सफेद धातु की तोडिया,2 अदद

आधार कार्ड,16 अदद सफेद धातु बरामद हुआ जो थाना हाजा के मु.अ.सं.64/22 धारा 457/380 भादवि से है तथा अभियुक्तगण 1-भोंदा उर्फ उपदेश अहिरवार 2-रोहित वर्मा पुत्र छोटेलाल की जामातलाशी से पांच अदद सफेद धातु के सिक्के,06 अदद तोडिया सफेद धातु,10 अदद सफेद धातु की बिछियां,02 अदद सफेद धातु की चूडी,एक अदद एसबीआई महोबा पासबुक बरामद हुआ जो थाना हाजा के मु.अ.सं.227/22 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित है उक्त समस्त अभियोगो मे माल बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी व अभियुक्त पुत्र हरप्रसाद उम्र 20 वर्ष निवासी प्राइवेट बस स्टैण्ड गांधीनगर थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद अवैध तमन्चा 12 बोर मय 02 जीवित कारतूस 12 बोर बरामद हुआ था जिसके आधार अभियुक्त भोंदा उर्फ उपदेश अहिरवार उपरोक्त के विरूद्ध मु.अ.सं. 231/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत करने के उपरान्त समस्त अभियुक्तगणो का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1-भोंदा उर्फ उपदेश अहिरवार पुत्र हरप्रसाद उम्र 20 वर्ष निवासी प्राइवेट बस स्टैण्ड गांधीनगर थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा

2-सुमित सिंह पुत्र रामदास उम्र 19 वर्ष निवासी पस्तौर गली थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा

3-रोहित वर्मा पुत्र छोटेलाल उम्र 19 वर्ष निवासी शुक्रवारी बाजार थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा

अपराध विवरण/बरामदगी--

1-दो अदद मोटी सफेद धातु पायल एवं दो अदद तोडिया सफेद धातु एवं 84 अदद सफेद धातु बिछिया मु.अ.सं.59/22 धारा 380/411 भादवि

2-एक अदद नोकिया बटनदार रंग काला मोबाइल फोन की पैड, एक अदद काला बैग श्रंगार ज्वैलर्स ,06 अदद सफेद धातु की तोडिया, 2 अदद आधार कार्ड,16 अदद सफेद धातु की बिछियां मु.अ.सं.64/22 धारा 457/380/411 भादवि

3- पांच अदद सफेद धातु के सिक्के,06 अदद तोडिया सफेद धातु,10 अदद सफेद धातु की बिछियां,02 अदद सफेद धातु की चूडी,एक अदद एसबीआई महोबा पासबुक सम्बन्धित मु.अ.सं.227/22 धारा 457/380/411 भादवि

4-एक अदद तमन्चा 12 बोर मय 02 जीवित कारतूस सम्बन्धित मु.अ.सं. 231/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम

गिरफ्तारकर्ता संयुक्त पुलिस बल का विवरण-

1- व.उ.नि. गोपाल चन्द्र कनौजिया
2- उ.नि. उपेन्द्र प्रताप सिंह
3- उ.नि. अनुरूद्ध प्रताप सिंह
4- उ.नि.मलखान सिंह
5- हे.का. सुरेश कुमार
6- का. आकाश सिंह चौहान

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी पुलिस टीम ने एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोंकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारी के तहत प्रभारी निरीक्षक चरखारी श्री उमापति मिश्रा द्वारा टीम का गठन किया गया जिसमें उ0नि0 चेतराम मय हमराह का. सूर्यपाल थाना चरखारी के नेतृत्व में टीम के द्वारा वारंटी अभियुक्त मुसम्मी मंगल सिंह पुत्र रामआसरे यादव निवासी ग्राम महाराजपुरा थाना चरखारी जिला महोबा सम्बन्धित वाद सं. 63/13 धारा 324/504 IPC व 3(1) 10 SC/ST ACT को ग्राम गोपालपुरा के आगे रोड से हिरासत पुलिस में लिया गया, उक्त वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 चेतराम थाना चरखारी।
2. का0 सूर्यपाल थाना चरखारी।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त–

मंगल सिंह पुत्र रामआसरे यादव निवासी ग्राम महाराजपुरा थाना चरखारी जनपद महोबा।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.06.2022

मीडिया सेल, महोबा

साइबर सेल महोबा द्वारा ऑनलाइन ठगी के शिकार पीड़ितों के कुल 52,580/- रुपये खाते में वापस कराये गये-

आये दिन साइबर अपराधियों द्वारा आम जनता को भ्रमित कर उनसे उनके बैंक खाते एवं क्रडिट कार्ड आदि से जुडी गोपनीय जानकारी अर्जित कर यूपीआई व अन्य के माध्यम से साइबर फ्रॉड/धोखाधडी की जा रही है।

उक्त के संदर्भ मे पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन मे साइबर अपराध की रोकथाम हेतु साइबर सेल महोबा द्वारा निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक को आवेदक 1. परशुराम पुत्र बुद्धा निवासी चरखारी कस्बा चरखारी 2. अनुभव राठौर पुत्र शिवकुमार निवासी रामकथा मार्ग थाना कोतवाली महोबा ने अपने साथ हुयी धोखाधडी के सदर्भ मे प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके क्रम मे साइबर सैल द्वारा दोनो प्रार्थना पत्रों की जाँच की गयी, जाँच के दौरान पाया गया कि अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा आवेदकों के साथ साइबर फ्रॉड के माध्यम से क्रमशः 25500/- रुपयें व 27080/- रुपये की ठगी कर ली गयी थी। आवेदकों के साथ हुयी साइबर ठगी में खाते से निकाली गयी धनराशि को वापस कराने हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुये पेमेण्ट गेटवे/सम्बन्धित बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर पीडितों की सम्पूर्ण धनराशि 52,580/- रुपयें वापस करायी गयी, पीडितों द्वारा अपनी धनराशि प्राप्त होने पर खुशी जाहिर की गयी।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर सेल टीमः-

1. उ0नि0 राहुल परमार प्रभारी साइबर सेल महोबा।
2. कां0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह
3. कां0 सत्यम सिंह जादौन
4. कां0 सुरजीत कुमार

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में शांति एंव कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।

आज दिनांक **07.06.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में शान्ति एवं कानून-व्यवस्था को बनाए रखने हेतु जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड,रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिये सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **111** ई-चालान किये गये।

महोबा पुलिस